न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :–20/2021

अपीलान्टः–

1. मुन्नालाल पुत्र श्री जीयाराम
2. विजय कुमार पुत्र श्री जीयाराम
3. कैलाश पुत्र श्री जीयाराम
4. सुभाष पुत्र श्री जीयाराम
   समस्त जाति माली निवासीगण खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का, छोटी खाटू।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री मोहम्मद अली शेरानी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 31.08.2020 न्यायालय नायबतहसीलदार छोटी खाटू अन्तर्गत प्रकरण संख्या 10/2019 राजस्थान सरकार बनाम मुन्नालाल वगैराह के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–18.08.2021

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत नायब तहसीलदार छोटी खाटू के प्रकरण संख्या 10/2019 बअनुवान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

राजस्थान सरकार बनाम मुन्नालाल वगैराह निर्णय दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसील छोटी खाटू में पटवारी हल्का खाटू खुर्द द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम खाटू खुर्द के खसरा नम्बर क्रमशः 1692/1571 व 1511 किस्म गैर मुमकिन पायतन राजकीय भूमि में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने क्रमशः 0.14 व 104.02 बीघा भूमि में से रकबा क्रमश 1062 वर्ग फुट व 288 वर्गफुट भूमि पर दुकान व टीनसेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 31.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट्स ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} (1) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} (2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही मिली है तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट पूर्णतया गलत व एक तरफा होने के तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर भारी विधिक भूल

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) यह है कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने परिवार के साथ पिछले करीब अर्सा–दराज वर्षो से पिढ़िदर पिढ़ी टीन शेड व दुकान को उपयोग में लेते आ रहे है। केवल राजनैतिक द्वैषतावश कार्यवाही की गयी है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) यह है कि पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रिपोर्ट पेश की है, उक्त खसरा नम्बर 1692/1511 व 1511 की भूमि पर अपीलान्ट्स ने किसी प्रकार को कोई कब्जा नहीं किया है, यदि अपीलार्थीगण को उसकी दुकान व टिनशेड से बेदखल कर दिया तो उनका परिवार अपने व्यवसाय व घर से वंचित हो जायेगा। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किये भारी विधिक भुल की है, जिससे अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) यह है कि अपीलान्ट्स उपरोक्त भूमि पर पक्की दुकान व टिनशेड बनाकर व्यवसाय व आवास निवास करते हुये वर्षो–वर्षो से काबिज है, जिससे उपरोक्त 91 की कार्यवाही मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) यह है कि अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता अवश्य नियुक्त किया था, परन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता आगामी पेशी को अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जा प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर यह आदेश पारित किया गया है, अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार के निर्णय की सूचना नहीं दी तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलार्थीगण इस मुगालते में रहा की प्रकरण को नहीं हुई तथा कोविड–19 की वजह से अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता से नही मिल पाये। अपीलार्थीगण ने दिनांक 02.02.2021 को निर्णय की नकल प्राप्त करने से उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है, जिससे अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 03.03.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2021/238 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, खाता संख्या 671 की जमाबदी की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2020 को हुआ है जिसकी अपील अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.03.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को उसके अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की जानकारी नहीं दी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रार्थीया इस मुगालते में रही की प्रकरण अभी विचाराधीन है, प्रार्थी ने दिनांक 02.02.2021 को निर्णय की नकल प्राप्त करने से उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है, अतः अपीलान्ट्स के निवेदन व अपील में मियाद के बिन्दु को नहीं देख कर प्रकरण के विषय को देखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट्स की अपील को नकल लेने की अवधि से एक माह की अवधि में अपील दर्ज किया जाना अपीलान्ट्स की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण अपने परिवार के साथ अर्सा–दराज वर्षो से पिढ़िदर पिढी टीन शेड व दुकान को उपयोग में लेते आ रहे है। केवल राजनैतिक द्वैषतावश कार्यवाही की गयी है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट उपरोक्त भूमि पर पक्की दुकान व टिनशेड बनाकर व्यवसाय व आवास निवास करते हुये वर्षो–वर्षो से काबिज है, जिससे उपरोक्त 91 की कार्यवाही मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का खाटू खुर्द की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम खाटू खुर्द के खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

क्रमशः 1692/1571 व 1511 किस्म गैर मुमकिन पायतन राजकीय भूमि में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने क्रमशः 0.14 व 104.02 बीघा भूमि में से रकबा क्रमश 1062 वर्ग फुट व 288 वर्गफुट भूमि पर दुकान व टीनसेड बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा भूमि गै0मु0पायतन पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। गै0मु0पायतन की भूमि पर राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।

उक्त सरकारी भूमि किस्म गै0मु0पायतन क्षेत्र की है इस प्रकार की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण गंभीर विषयक प्रकृति का है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबन्धित भूमि है। यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का खाटू खुर्द द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक छोटी खाटू द्वारा की गई है। इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रकार अपीलांट्स द्वारा ग्राम खाटू खुर्द के खसरा नम्बर क्रमशः 1692/1571 व 1511 किस्म गैर मुमकिन पायतन राजकीय भूमि में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने क्रमशः 0.14 व 104.02 बीघा भूमि में से रकबा क्रमश 1062 वर्ग फुट व 288 वर्गफुट भूमि पर दुकान व टीनसेड बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जो हटाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट्स को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.08.2020 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)